महत्वपूर्ण / प्राथमिकता

संख्या-35 / 2016 / 1884 / 60-2-16-2 / 3(01) / 12 टी.सी.।।

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-2 लखनऊः दिनॉक 17 जून, 2016

विषयः प्रदेश में आंगनवाड़ी केन्द्रों पर गर्भवती महिलाओं के पोषण हेतु हौसला पोषण योजना-फीडिंग कार्यक्रम के संचालन के सम्बन्ध में।

प्रदेश में कुपोषण की रोकथाम हेतु गर्भवती महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार हेतु आंगनबाड़ी केन्द्रों पर समेकित पोषण कार्यक्रम के अन्तर्गत दैनिक रूप से निर्धारित मानकों के अनुसार गर्म पका-पकाया भोजन खिलाना, आयरन की गोलियां खिलाना, स्वास्थ्य-पोषण परामर्श दिये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा ''हौसला पोषण योजना-फीडिंग कार्यक्रम'' संचालित किये जाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।

2- महिलाओं में कुपोषण की स्थिति का आंकलन रैपिड सर्वे आफ चिल्ड्रेन 2013-14 के अन्तर्गत उपलब्ध निम्न आंकड़ों के आधार पर किया जा सकता हैः

- गर्भवती महिलायें जो 100 या उससे अधिक आयरन की गोलियां खा पाती हैं, का प्रतिशत प्रदेश में 4.3 प्रतिशत है।
- गर्भवती महिलायें जिन्होंने गर्भावस्था के दौरान 3 या उससे अधिक प्रसव पूर्व जांचे करायी हों, का प्रतिशत प्रदेश में 36.6 प्रतिशत है।
- जन्म के समय 2.5 किलोग्राम से कम वजन वाले नवजात शिशु का प्रतिशत प्रदेश में 22.5 प्रतिशत है।
- नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2005-06 के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में हर दूसरी गर्भवती महिला एनीमिया (हीमोग्लोबिन 11 ग्राम से कम) से ग्रसित है।

गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच हेतु माह जनवरी-फरवरी, 2016 में 'मातृत्व सप्ताह' का वृहद् आयोजन जनपदों द्वारा किया गया। उक्त अभियान के अन्तर्गत लगभग 16 लाख महिलाओं की जांच हुई जिसके फलस्वरूप गर्भावस्था के दौरान पंजीकरण में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई और प्रदेश में लगभग एक लाख से अधिक गर्भवती महिलायें गम्भीर तीव्र खतरनाक गर्भावस्था (High Risk Pregnancy- HRP) की श्रेणी में चिन्हित हुई। स्पष्टतः गर्भवती महिलाओं में कुपोषण की रोकथाम हेतु आई0सी0डी0एस0 विभाग द्वारा संचालित अनुपूरक पोषाहार कार्यक्रम (Supplementary Nutrition Programme - SNP) के साथ-साथ अतिरिक्त प्रयास कर उसे और अधिक सुदृढ किये जाने की आवश्यकता है। साथ ही गर्भवती महिलाओं को संस्थागत तरीके से सही परामर्श उपलब्ध कराने की आवश्यकता है ताकि उनके द्वारा स्वयं भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सके। स्वस्थ्य एवं सुपोषित बच्चे के जन्म के लिये यह आवश्यक है कि गर्भावस्था के समय से ही गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण का ध्यान रखा जाय।

अतः गर्भवती महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार एवं भविष्य में उनके द्वारा स्वस्थ बच्चे को जन्म देने की परिस्थितियां सुदृढ करने हेतु उनके लिये आंगनबाड़ी केन्द्रों पर हौसला पोषण योजना-फीडिंग कार्यक्रम का संचालन किया जायेगा, जिसके अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं को प्रतिदिन मध्यान्ह में गर्म पका-पकाया भोजन खिलाया जायेगा, उनके द्वारा आयरन की गोलियां खाना सुनिश्चित किया जायेगा, उन्हें स्वास्थ्य-पोषण परामर्श दिया जायेगा एवं अन्य सेवायें यथा उनके वजन की माप एवं वी0एच0एन0डी0 सेवाओं को प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-20/2016/831/60-2-16-2/3 (1)11 टीसी-।।, दिनांक 31 मार्च, 2016 में दिये गये निर्देशों के अनुसार उक्त कार्यक्रम के ट्रायल का क्रियान्वयन प्रदेश के 18 मण्डलों के एक-एक विकास खण्ड की समस्त ग्राम सभाओं में एवं जिलाधिकारियों एवं मुख्य विकास अधिकारियों द्वारा गोद ली गयी दो-दो ग्राम सभाओं में किया गया। ट्रायल में जिलाधिकारियों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर प्रदेश स्तर पर गर्भवती महिलाओं के पोषण के लिए हौसला फीडिंग कार्यक्रम के संचालन की रूपरेखा निम्नवत प्रस्तुत है।

3- गर्भवती महिलाओं हेतु हौसला पोषण योजना-फीडिंग कार्यक्रम की रूपरेखा निम्नवत हैः-

3.1 हौसला पोषण योजना-फीडिंग कार्यक्रम का उद्देश्य

गर्भवती महिलाओं हेतु हौसला पोषण योजना-फीडिंग कार्यक्रम का संदेश-''कोई नवजात 2.5 किलो से कम नहीं'' रखा गया है, जिसका उद्देश्य निम्न हैः-

तालिका-1

गर्भवती महिलाओं हेतु संचालित हौसला फीडिंग कार्यक्रम के उद्देश्य	
1	गर्भवती महिलाओं की स्पाट फीडिंग कराकर, कैलोरी और प्रोटीन के गैप की भरपाई करना।
2	गर्भवती महिलाओं को आयरन की 100 गोलियां खिलाना, जिससे उनमें एनीमिया की रोक/कम किया जा सके।
3	नियमित परामर्श सत्रों के माध्यम से संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना तथा नवजात शिशु को स्तनपान कराना।
4	गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार कर नवजात शिशु को कुपोषण से मुक्त रखना।

3.2 हौसला पोषण योजना-फीडिंग कार्यक्रम का स्थल- यह कार्यक्रम प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में चलाया जायेगा।

3.3 हौसला पोषण योजना-फीडिंग कार्यक्रम चलाने का उत्तरदायित्व-

(1) कार्यक्रम के अन्तर्गत भोजन पकवाने का उत्तरदायित्व ग्राम प्रधान का होगा और आच्छादित लाभार्थियों को भोजन कराने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित ग्राम प्रधान तथा आंगनबाड़ी कार्यकत्री का होगा।

(2) कार्यक्रम के संचालन हेतु प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र हेतु समीपवर्ती सी0बी0एस0 बैंक (कोर बैंकिंग सिस्टम) ब्रान्च में एक बचत खाता खोला जायेगा जिसका संचालन सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं आंगनबाड़ी कार्यकत्री द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा।

3.4 गर्भवती महिलाओं हेतु हौसला पोषण योजना-फीडिंग कार्यक्रम का मेन्यू-

(1) गर्भवती महिलाओं की गर्भावस्था के पंजीकरण के उपरान्त प्रसव होने तक आंगनबाड़ी केन्द्रों पर उक्त महिलाओं हेतु फीडिंग कार्यक्रम संचालित किया जायेगा।

(2) गर्भवती महिलाओं को बेसिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित मध्यान्ह भोजन योजना के मेन्यू के अनुसार गर्म पका-पकाया भोजन कराया जायेगा, जिसमें रूपये 18.00 प्रति लाभार्थी प्रतिदिन व्यय निहित है। उक्त धनराशि में प्रतिदिन दिये जाने वाले मौसमी फल हेतु रूपये 3/- का व्यय भी सम्मिलित है। विवरण निम्नवत् हैः-

तालिका-2

भोजन का दिन	**मेन्यू- मिड डे मील के अनुसार**	**भोज्य पदार्थ की मात्रा**	**दही/ दूध**	**फल**	**भोजन से मिलनेवाली ऊर्जा- कैलोरी**	**भोजन में मिलनेवाले प्रोटीन की मात्रा-ग्राम**	**अनुमानित लागत**
सोमवार	रोटी एवं सोयाबीन युक्त सब्जी	150 ग्राम गेहूं + 150 ग्राम बड़ी व सब्जी	-	मौसमी फल	830	28	17
मंगलवार	चावल-दाल	150 ग्राम	-	मौसमी	760	29	15

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

		चावल + 40 ग्राम दाल		फल			
बुधवार	तहरी एवं दही	150 ग्राम चावल + 60 ग्राम सब्जी	175 मि.ली.	मौसमी फल	840	26	18
बृहस्पतिवार	रोटी-दाल एवं दही	150 ग्राम गेहूं + 40 ग्राम दाल	175 मि.ली.	मौसमी फल	960	35	21
शुक्रवार	तहरी एवं दही	150 ग्राम चावल+90 ग्राम बड़ी व सब्जी	175 मि.ली.	मौसमी फल	960	26	19
शनिवार	चावल-सोयाबीन युक्त सब्जी	150 ग्राम चावल + 150 ग्राम बड़ी व सब्जी	-	मौसमी फल	830	28	18
औसत			175		863.33	28.66	18
एक गर्भवती महिला को गर्भावस्था के दौरान 2600 केलोरी व 82 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। आई0सी0डी0एस0 का पूरक पोषाहार व गर्भवती महिला हेतु अतिरिक्त गर्म भोजन व फल को सम्मिलित करते हुये उपरोक्त मेन्यू गर्भावस्था के दौरान 56 प्रतिशत उर्जा व 57 प्रतिशत प्रोटीन की आवश्यकता की पूर्ति करेगा।							

(3) गर्भवती महिलाओं को केन्द्र पर भोजन कराने के पश्चात् एक लाल आयरन की गोली भी खिलायी जायेगी और साथ में आयरन की गोली खिलाने के लाभ के बारे में गर्भवती महिलाओं को जानकारी भी दी जायेगी। आयरन की गोली उपलब्ध कराने तथा उसको गर्भवती महिलाओं को ग्रहण कराने का दायित्व स्वास्थ्य विभाग की आशा का होगा।

3.5 गर्भवती महिलाओं के भोजन के मेन्यू के अन्तर्गत दही/दूध हेतु दुग्ध विकास विभाग- पी0सी0डी0एफ0 द्वारा होल मिल्क पाउडर (HMP) की व्यवस्था

(1) गर्भवती महिलाओं को खिलाये जाने वाले भोजन के अन्तर्गत बुधवार, बृहस्पतिवार व शुक्रवार को दही अथवा दूध उपलब्ध कराने के लिए दुग्ध विकास विभाग, उ0प्र0 की संस्था पी0सी0डी0एफ0 द्वारा होल मिल्क पाउडर (HMP) आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आपूर्ति किया जायेगा।

(2) मेन्यू के अनुसार गर्भवती महिलाओं को 175 मिली0 दूध/दही खिलाया जाना होगा। 175 मिली0 दूध/दही बनाने के लिए लगभग 21 ग्राम होल मिल्क पाउडर (HMP) की आवश्यकता होगी जिसकी लागत रू0 6.09 होगी, उक्त निर्धारित दर, बाजार दर एवं आउटसोर्सिंग से निगोशिएशन के उपरान्त प्राप्त होने वाली दरों के आधार पर, समय-समय पर परिवर्तित होंगी।

(3) दुग्ध विकास विभाग, उ0प्र0 द्वारा होल मिल्क पाउडर (WMP) की आपूर्ति यथा आवश्यकता 250 ग्राम, 500 ग्राम एवं 1000 ग्राम की पैकिंग में की जायेगी।

(4) होल मिल्क पाउडर (HMP) के 250 ग्राम मिल्क पाउडर एक पैकेट से 175 ग्राम प्रति महिला दूध/दही के मानक के आधार पर 12 महिलाओं हेतु प्रतिदिन के लिए दूध तैयार हो सकेगा। 250 ग्राम मिल्क पाउडर में लगभग 2.5 लीटर पानी मिलाने पर 12 महिलाओं को खिलाने के लिए आवश्यक दूध/दही तैयार हो सकेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) समस्त आंगनबाडी कार्यकत्रियां केन्द्रवार गर्भवती महिलाओं का लक्ष्य निर्धारित करती हुई सूचना बाल विकास परियोजना कार्यालय के माध्यम से जिला कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय तक भेजेंगी।

(6) जिला कार्यक्रम अधिकरियों द्वारा संकलित सूचना पी0सी0डी0एफ0 को प्रत्येक माह के अन्तिम सप्ताह तक पहुंचा दी जायेगी-

- ✓ यह मांग एक माह की होगी और इसकी समयावधि 15 तारीख से अगले माह की 15 तारीख तक की होगी।
- ✓ मांग के साथ एक माह का अग्रिम भुगतान भी उपलब्ध कराया जायेगा।
- ✓ दुग्ध संघ द्वारा मांग/अग्रिम प्राप्त होने पर वाहनों के माध्यम से महीने की 15 तारीख तक जनपद के सभी स्थानों पर आवश्यक मात्रा में दुग्ध पाउडर पहुंचा दिया जायेगा।

(7) दूध अथवा दही का ग्रहण केन्द्र पर ही किया जायेगा।

(8) होल मिल्क पाउडर (HMP) की आपूर्ति के सत्यापन के आधार पर आगामी माह के अग्रिम भुगतान से आवश्यक समायोजन करते हुए अग्रिम का भुगतान जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा दुग्ध विकास विभाग को गर्भवती महिलाओं के फीडिंग कार्यक्रम हेतु आबंटित बजट की धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(9) जिन लाभार्थियों को दूध अथवा दूध से बने पदार्थ से एलर्जी (लैक्टोज़ इन्टालरेन्स) हो उन्हें दूध/दही न देते हुए उसके स्थान पर कोई वैकल्पिक पौष्टिक भोज्य पदार्थ जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर देने की व्यवस्था की जायेगी। कतिपय प्रकरणों में लाभार्थियों को दूध अथवा दूध से बने पदार्थ से एलर्जी (लैक्टोज़ इन्टालरेन्स) हो जाने की स्थिति में सम्बन्धित प्रकरण तत्काल समीपस्थ चिकित्सीय इकाई/मुख्य चिकित्साधिकारी को इस कार्यक्रम से ग्राम स्तर पर लगे कर्मचारियों द्वारा संदर्भित किया जायेगा।

3.6 भोजन बनाने हेतु प्रबन्धन

(1) भोजन में आयोडाइज्ड नमक का ही प्रयोग अनिवार्यतः किया जायेगा। नमक सीलबन्द डिब्बे में रखा जायेगा ताकि उसकी आयोडीन नमी से नष्ट न हो।

(2) आंगनबाड़ी केन्द्रों पर हौसला पोषण योजना-फीडिंग कार्यक्रम का समय जनपद स्तर पर निर्धारित किया जाना समीचीन है, इस हेतु जिलाधिकारी सक्षम स्तर होंगे।

(3) भोजन पकाने हेतु मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत उपलब्ध प्राथमिक विद्यालय के रसोईघर एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं का आवश्यकतानुसार/ नियमानुसार प्रयोग किया जायेगा। यह ग्राम प्रधान के विवेक पर निर्भर होगा कि सम्बन्धित गांव के समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों का भोजन एक साथ विद्यालय के रसोईघर में पकाया जाये अथवा पृथक-पृथक। किन्तु विद्यालय के रसोईघर में कई आंगनबाड़ी केन्द्रों का भोजन पकने की स्थिति में भी पका हुआ भोजन सम्बन्धित आगनवाड़ी कार्यकत्री/सहायिका द्वारा लाभार्थियों के केन्द्र पर ले जाकर भोजन उनके आंगनवाड़ी केन्द्र पर ही कराया जायेगा।

(4) भोजन पकवाने का दायित्व ग्राम प्रधान का होगा। ग्राम प्रधान द्वारा आंगनबाड़ी सहायिका के स्थान पर मध्यान्ह भोजन योजना के रसोइये से भी गर्भवती महिलाओं के लिये भोजन पकाने का कार्य लिया जा सकता है। भोजन पकाने वाले कर्मी को उपर्युक्त तालिका-2 के अंतिम स्तम्भ में अंकित भोजन की दर के अन्तर्गत लेबर चार्जेज मद हेतु निर्दिष्ट धनराशि रू0 2/- प्रति लाभार्थी के आधार पर भुगतान किया जायेगा।

(5) भोजन पकाने हेतु राशन, सब्जी, मसालों, तेल आदि का क्रय स्थानीय बाजार से किया जायेगा। तेल आदि एवं मसालों की विशिष्टियां हॉट कुक्ड मील एवं मध्यान्ह भोजन योजना में लागू विशिष्टयों के अनुरूप होंगी।

3.7 भोजन बनाने हेतु समस्त केन्द्रों पर बर्तन आदि की व्यवस्था

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

भोजन बनाने हेतु समस्त केन्द्रों पर बर्तन आदि की व्यवस्था आंगनबाड़ी द्वारा की जायेगी। इस हेतु प्रति केन्द्र रू0 1500/- एक बार की लागत के आधार पर धनराशि बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशालय द्वारा गर्भवती महिलाओं हेतु हौसला पोषण योजना-फीडिंग कार्यक्रम के लिए आय-व्ययक 2016-17 में की गयी बजट व्यवस्था से किया जायेगा।

3.8 गर्भवती महिलाओं हेतु फल का क्रय व वितरण

(1) प्रत्येक गर्भवती महिला को माह में 25 दिन एक मौसमी फल (केला, आम आदि पपीता छोड़कर) दिया जायेगा।

(2) फल स्वच्छ जल से धोकर महिलाओं को दिया जायेगा।

(3) फल का ग्रहण लाभार्थियों द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्र पर किया जायेगा।

(4) फल की खरीद उसी दिन के लिये या फिर लाभार्थी संख्या के अनुसार अधिकतम दो दिन के लिये की जायेगी। किसी भी दशा में सड़े गले फल महिलाओं को नहीं खिलाये जायंगे।

3.9 भोजन बनाने हेतु जनपदों द्वारा किये जाने वाले आवश्यक कार्य

(1) प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर गर्भवती महिलाओं की सूची बनायी जायेगी एवं उसके अनुसार लाभार्थियों को भोजन कराया जायेगा।

(2) सम्बन्धित ग्राम प्रधानों, बाल विकास परियोजना अधिकारियों, मुख्य सेविकाओं, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों/सहायिकाओं को फीडिंग कार्यक्रम के पूर्व, परियोजना/जनपद स्तर पर कार्यशाला आयोजित कर सम्पूर्ण जानकारी दी जायेगी ताकि कार्यक्रम का प्रभावी क्रियान्वयन हो सके। इस हेतु एक बुकलेट तैयार कराकर समस्त ग्राम प्रधानों/आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों/सहायिकाओं को उपलब्ध करायी जायेगी। यह कार्य राज्य पोषण मिशन, उ0प्र0 द्वारा किया जायेगा।

3.10 समुदाय आधारित परामर्श सत्र

कुपोषण के कारणों में भोजन की कमी के साथ सही देखभाल का अभाव भी अत्यन्त महत्वपूर्ण कारण है। अस्तु, गर्भवती महिलाओं में होने वाले कुपोषण की रोकथाम हेतु उन्हें आंगनबाडी केन्द्रों पर गर्म पका-पकाया भोजन खिलाने के साथ आंगनबाड़ी केन्द्रों पर भोजन हेतु उनकी उपस्थिति को समुदाय आधारित परामर्श सत्रों में भी उपयोग में लाया जायेगा। इस हेतु बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशालय द्वारा अनुपूरक पोषाहार वितरण हेतु माह में निर्धारित तिथियों यथा 05, 15 एवं 25 जिस दिन केन्द्रों पर गर्भवती एवं धात्री महिलायें और 03 तीन वर्ष से कम आयु के कुपोषित बच्चों की मातायें उपस्थित होती हैं, को कुपोषण की रोकथाम संबंधी आवश्यक परामर्श दिया जायेगा। उक्त तिथियों में से वी0एच0एन0डी0 के दिन के निकट पड़ने वाली तिथि के स्थान पर वी0एच0एन0डी0 के दिन ही यह परामर्श ए0एन0एम0 द्वारा दिया जायेगा एवं अन्य तिथियों में आंगनबाड़ी कार्यकत्री द्वारा दिया जायेगा। समुदाय आधारित इन परामर्श सत्रों के अतिरिक्त लाभार्थियों के परिवारजन हेतु गृह-भ्रमण आधारित परामर्श सत्र पूर्व की भाँति किये जायेंगें।

3.11 हौसला पोषण योजना-फीडिंग कार्यक्रम हेतु केन्द्रों पर वॉल-राइटिंग

प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर हौसला पोषण योजना-फीडिंग कार्यक्रम का मेन्यू एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं संबंधित मुख्य सेविका के फोन नम्बर वाल-राइटिंग के रूप में पीले बैकग्राउन्ड पर काले रंग के पेन्ट से मध्यान्ह् भोजन योजना के मेन्यू आदि की भाँति लिखे जायेंगें। इस हेतु आय-व्ययक में गर्भवती महिलाओं के हौसला पोषण योजना-फीडिंग कार्यक्रम हेतु प्राविधानित बजट से रू0 250/- प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र की दर की सीमा तक आवश्यकतानुसार व्यय किया जा सकेगा। अतिकुपोषित बच्चों हेतु संचालित होने वाले फीडिंग कार्यक्रम का मेन्यू भी इसी वॉल-राइटिंग में पेन्ट किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3.12 हौसला पोषण योजना-फीडिंग कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

कुपोषण की रोकथाम हेतु गर्भवती महिलाओं के लिये संचालित किये जाने वाले हौसला पोषण योजना-फीडिंग कार्यक्रम की महत्ता के दृष्टिगत जनपदों द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ताकि लाभार्थियों को कार्यक्रम की जानकारी हो सके और उनका भोजन करने के लिये आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आना सुनिश्चित हो सके। इस हेतु प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी कार्यालय एवं विकास भवन पर 20फीटx10फीट की माप की एक-एक फ्लेक्स होर्डिंग लगायी जायेगी। साथ ही प्रत्येक परियोजना में भी इसी आकार की एक होर्डिंग लगाया जायेगा। इस हेतु रू0 8000/- प्रति होर्डिंग की दर से धनराशि उपलब्ध रहेगी, जिस पर होने वाला व्यय आय-व्ययक में गर्भवती महिलाओं के हौसला पोषण योजना-फीडिंग कार्यक्रम हेतु प्राविधानित बजट से वहन किया जायेगा। अतिकुपोषित बच्चों हेतु संचालित होने वाले फीडिंग कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार भी इसी होर्डिंग में किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। होर्डिंग केन्द्रीयकृत एजेंसी के माध्यम से निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा तैयार कराया जायेगा। होर्डिंग का विषय निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार व पोषण मिशन दोनों का रहेगा व इसे शासन स्तर पर अनुमोदित किया जायेगा।

3.13 व्यय विवरण

हौसला पोषण योजना-फीडिंग कार्यक्रम पर होने वाले व्यय का विवरण निर्धारित प्रारूप पर आंगनबाडी कार्यकत्री द्वारा अंकित करते हुए मुख्य सेविका के माध्यम से बाल विकास परियोजना अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा अपने परियोजना का संकलित व्यय विवरण जिला कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। जिला कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा संकलित व्यय विवरण निदेशक, आई0सी0डी0एस0, उ0प्र0 को प्रेषित किया जायेगा एवं परियोजनावार उक्त विवरण www.suposhanup.in वेबसाइट पर अपलोड भी किया जायेगा। कार्यक्रम से सम्बन्धित समस्त बिल/बाउचर बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालय में सुरक्षित रखे जायेंगे एवं भविष्य में आडिट की स्थिति में आडिट दल को उपलब्ध कराये जायेंगे। इस हेतु आंगनवाड़ी केन्द्रों पर रजिस्टर उपलब्ध कराया जायेगा।

3.14 हौसला पोषण योजना-फीडिंग कार्यक्रम का अनुश्रवण

(1) इस हेतु भोजन करने वाली गर्भवती महिलाओं तथा ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति के अध्यक्ष के फोन नम्बर जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा राज्य पोषण मिशन की ट्रैकिंग वेबसाइट www.suposhanup.in पर इस हेतु बनाये गये प्रारूप पर अंकित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) कार्यक्रम के प्रभावी अनुश्रवण के लिये बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशालय द्वारा प्रत्येक परियोजना पर डेटा इन्ट्री का कार्य सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जायेगी ताकि परियोजना स्तर की समस्त सूचनाऐं समय से तैयार की जा सके एवं निर्दिष्ट प्रारूपों पर उन्हें www.suposhanup.in वेबसाइट पर अपलोड किया जा सके। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशालय द्वारा इस हेतु जनपदों को प्रति परियोजना डेटा इन्ट्री कार्य हेतु रूपये 10000/- प्रतिमाह की सीमा तक धनाबंटन किया जा सकेगा जिसे आय-व्ययक में गर्भवती महिलाओं के फीडिंग कार्यक्रम हेतु प्राविधानित बजट से वहन किया जायेगा। उक्त धनाबंटन के सापेक्ष आवश्यकता के आधार पर डेटा इन्ट्री कार्य पर व्यय किया जा सकेगा। इस डेटा इन्ट्री कार्य में गर्भवती महिलाओं हेतु संचालित हौसला पोषण योजना-फीडिंग कार्यक्रम के साथ ही साथ अति कुपोषित बच्चों हेतु संचालित होने वाले हौसला पोषण योजना-फीडिंग कार्यक्रम की डेटा इन्ट्री का कार्य भी सम्मिलित होगा। डेटा इन्ट्री का कार्य सुसंगत शासनादेशों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्मिकों को आउटसोर्सिंग द्वारा हायर करते हुए योजना अवधि हेतु अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) उक्त के क्रम में जनपदों द्वारा परियोजना स्तर पर डेटा इन्ट्री एवं रिपोर्टों को वेबसाइट पर अपलोड करने की कार्यवाही अनिवार्यतः सुनिश्चित की जायेगी।

(4) मण्डलीय/जनपदीय अधिकारियों द्वारा स्थलीय भ्रमण के अन्तर्गत कार्यक्रम का सामयिक अनुश्रवण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा एवं तत्संबंधी सूचना निर्धारित प्रारूप पर अंकित करते हुये

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जिलाधिकारी, मण्डलायुक्त एवं निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0 को प्रेषित की जायेगी। इस सूचना को भी www.suposhanup.in वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा।

3.15 हौसला पोषण योजना-फीडिंग कार्यक्रम का मूल्यांकन

गर्भवती महिलाओं के लिए फीडिंग कार्यक्रम के मूल्यांकन हेतु बेस लाइन सर्वे/मिड टर्म अप्रेजल, भारत सरकार/राज्य सरकार की शासकीय,अर्द्धशासकीय, स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा कराया जायेगा।

3.16 खाद्य/पेय पदार्थ के कन्ट्रा इंडिकेशन लक्षित होने पर केन्द्र पर उपस्थित आंगनबाडी कार्यकत्री/सहायिका/ग्राम प्रधान द्वारा तत्काल निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र पर उपचार की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी।

प्रश्नगत कार्यक्रम राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का क्रियान्वयन सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
2. निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन ।
4. प्रमुख सचिव, वित्त, उ0प्र0 शासन।
5. प्रमुख सचिव, कार्मिक, उ0प्र0 शासन।
6. प्रमुख सचिव, न्याय, उ0प्र0 शासन।
7. प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन ।
8. प्रमुख सचिव, पंचायतीराज, उ0प्र0 शासन।
9. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. प्रमुख सचिव, दुग्ध विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
11. सचिव, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
12. महानिदेशक, राज्य पोषण मिशन, उ0प्र0।
13. मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, उ0प्र0
14. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0।
15. निदेशक, पंचायतीराज, उ0प्र0।
16. निदेशक, मध्यान्ह भोजन योजना, उ0प्र0।
17. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
18. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
19. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
20. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, उ0प्र0।
21. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डिम्पल वर्मा)
प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in